94

5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

III/निग0/रीवा/भू0रा/2017/3207

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

RS 30/-

5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

अधि0 श्री लक्ष्मण मिश्रा द्वारा पेश/8-9-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

1. शिवकुमार गुप्ता उम्र 47 वर्ष,
2. चन्द्रप्रकाश गुप्ता उम्र 39 वर्ष दोनों के पिता श्री रामबिलाश गुप्ता (बानी) पेशा व्यापार निवासी ग्राम पन्नी थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0।...निगरानीकर्तागण

बनाम

आनन्द कुमार तिवारी उम्र 60 वर्ष तनय मुनिमाधव प्रसाद तिवारी पेशा खेती निवासी ग्राम रजहा पोस्ट आफिस पन्नी थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0। ....उत्तरवादी

निगरानी विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 20/06/2017 जरिये राजस्व प्रकरण क्र0 39 अ 12/2016–17 राजस्व निरीक्षक मऊगंज तहसील मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0 अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–रा0 सं0 सन् 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :–

1. यह कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश व सीमांकन कार्यवाही विधि प्रक्रिया के विरूद्ध होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है।

08/09/017

शिवकुमार गुप्ता
चन्द्रप्रकाश गुप्ता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / निग / रीवा / भूरा / 2017 / 3207

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-06-18	आवेदक अभिभाषक श्री लक्ष्मण मिश्रा के प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क सुने गये। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मऊगंज तहसील मऊगंज जिला रीवा के सीमांकन आदेश दिनांक 20.06.17 प्रकरण क. 39 / अ12 / 16–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यो को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लेखित है। आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत हल्का पटवारी से प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा, फील्ड बुक, नक्शा ट्रेस आदि तैयार किया गया एवं सरहदी कास्तकारों को सूचना दिये जाने तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किये जाने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह्य की जाती है तथा अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20.06.17 विधिवत होने से यथावत रखा जाता है। उभय पक्ष को सूचना दी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	